सप्तदश बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–08 मंगलवार, दिनांक–14 मार्च, 2023 ई०।

माननीय अध्यक्ष श्री अवध विहारी चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न से 11:48 बजे पूर्वाह्न तक।

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही आसन की अनुमति से माननीय सदस्य, श्री सत्यदेव राम ने जय प्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, छपरा के कुलपति द्वारा सीनेट की बैठक सभा की बैठक के दौरान ही रखने पर सीनेट सदस्य के रूप में उन्हें हो रही कठिनाई के मुद्दे पर आसन का ध्यान आकृष्ट कराया।

तदुपरान्त माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा किशनगंज जिले की घटना पर सरकार से उत्तर की मांग की गयी तथा कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत दी गयी सूचना पर सदन में विमर्श करवाने का अनुरोध आसन से किया गया।

तत्पश्चात माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा कहा गया कि बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में गंभीर से गंभीर विषय को उठाने के लिए नियम एवं प्रावधान हैं। आसन की इजाजत से नियमावली में निहित प्रावधानों के तहत जो भी प्रस्ताव विपक्ष लायेगा, सरकार बिल्कुल पारदर्शी तरीके से उसका जवाब देने के लिए हरदम तैयार है।

आसन द्वारा कहा गया कि बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम के तहत विषय को उठायें, सरकार हर सवाल का नियमानुसार जवाब देगी।

[1] **प्रश्नकाल** :–

(i) 02 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।

(ii) 02 अल्पसूचित प्रश्न अनागत।

(iii) 02 तारांकित प्रश्न उत्तरित।

(iv) 179 तारांकित प्रश्न अनागत।

तारांकित प्रश्न संख्या–1289 के निस्तारण के दौरान सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर माननीय सदस्य, श्री लखेन्द्र कुमार रौशन द्वारा माईक तोड़ दिया गया।

आसन द्वारा कहा गया कि यह अमर्यादित कार्य है। आसन इसपर कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जायेगा।

इस बीच सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर शोरगुल और टीका–टिप्पणी करने लगे।

आसन द्वारा सभी माननीय सदस्यों से अपने–अपने स्थान पर बैठ जाने तथा शांति से सदन की कार्यवाही चलने देने का अनुरोध किया गया। साथ ही कहा गया कि सभी सदस्य नियम का पालन करें अन्यथा बाध्य होकर उनपर कार्रवाई की जायेगी।

आसन द्वारा बार–बार अपने स्थान पर बैठ जाने के अनुरोध किये जाने के बाद भी सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 05:01 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[2] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :–

1. माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा शिक्षा विभाग से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के तहत बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।
2. माननीय सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति, श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रत्यायुक्त विधान समिति का द्वितीय प्रतिवेदन की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

[3] वित्तीय कार्य :–वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों [खंड–04 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग; वित्त विभाग; पेंशन तथा वाणिज्य–कर विभाग] पर वाद–विवाद तथा मतदान।

माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री आलोक कुमार मेहता द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित अनुदान की मांग को प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री जनक सिंह द्वारा अनुदान की मांग पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

इस दौरान माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि आज प्रश्नकाल के दौरान माननीय सदस्य, श्री लखेन्द्र कुमार रौशन के समाज कल्याण विभाग से संबंधित प्रश्न का समाज कल्याण मंत्री द्वारा संतोषजनक उत्तर देने के साथ ही इससे संबंधित तीन पूरक प्रश्नों का भी जवाब दिया गया। इसके उपरान्त माननीय सदस्य, श्री लखेन्द्र कुमार रौशन द्वारा आपत्तिजनक तरीके से विरोध प्रकट करते हुए माईक को तोड़ दिया गया। माननीय सदस्य के इस असंसदीय आचरण के कारण सदन और आसन की मर्यादा का हनन हुआ है। आसन द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए नियमन दिया गया था कि आसन इसपर कार्रवाई करेगी। सदन सुचारू रूप से चले तथा आसन और सदन की मर्यादा बनी रहे इसलिए अनुरोध करते हैं कि विपक्ष तथा माननीय सदस्य इस अशोभनीय आचरण के लिए खेद प्रकट करें, अन्यथा आसन के नियमन के अनुपालन में कार्रवाई का प्रस्ताव दिया जायेगा।

आसन द्वारा माननीय सदस्य, श्री लखेन्द्र कुमार रौशन से अपना पक्ष रखने तथा खेद प्रकट करने के लिए कहा गया, जिसपर माननीय सदस्य द्वारा अपना पक्ष रखा गया परन्तु खेद प्रकट नहीं किया गया।

तत्पश्चात आसन की अनुमति से माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा कहा गया कि यह संसदीय व्यवस्था का अपमान है। इसलिए बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–63(3) के अन्तर्गत श्री लखेन्द्र कुमार रौशन, क्षेत्र संख्या–130 (पातेपुर) को खेद प्रकट नहीं करने, सदन की कार्यवाही को बाधित करने एवं माईक तोड़ने के कारण आज के उपवेशन से लेकर लगातार दो दिनों तक के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित किया जाय।

उपर्युक्त प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण उक्त निर्णय का विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये।

तत्पश्चात अनुदानों की मांग एवं कटौती प्रस्ताव पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लियाः–

1. श्री ऋषि कुमार
2. श्री निरंजन कुमार मेहता

3. श्री संतोष कुमार मिश्र

[इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

4. श्री संजय कुमार गुप्ता
5. श्री सत्यदेव राम
6. श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी
7. श्री अजय कुमार
8. श्री सुर्यकान्त पासवान
9. श्री विश्व नाथ राम
10. श्री अचमित ऋषिदेव
11. श्री प्रहलाद यादव

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

12. श्री रामवृक्ष सदा
13. श्री मुकेश कुमार रौशन

तदुपरान्त सरकार की ओर से माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री आलोक कुमार मेहता द्वारा वाद–विवाद का उत्तर दिया गया।

तत्पश्चात माननीय सदस्य, श्री जनक सिंह का कटौती प्रस्ताव सदन से अस्वीकृत हुआ तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

[4] <u>निवेदन</u> :–

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 38 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे।

तत्पश्चात् सभा की बैठक बुधवार, दिनांक–15 मार्च, 2023 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक–14.03.2023

पवन कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।